

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 1978/पौष 26, 1899

No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 1978/PAUSA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1978

का० आ० 20 (अ)/18 जख/उ०/वि० वि० अ/78.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 जख की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), के आदेश सं० का० आ० 39(अ)/18 जख/उ० वि० वि० अ/77 तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह प्राप्ति की थी कि—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), इन अनुकूलनों सहित कि

उक्त अधिनियम की धारा ५क, अध्याय 5क और 5ख और धारा 33ग का लोप किया जाएगा, मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन दो औद्योगिक उपक्रमों को लागू होगा, और

- (क) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी सविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाबों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत वायित्वों से है), जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कम्पनी पक्षकार है या जो, यथास्थिति, उन औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन, प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ, और दायित्व निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश को एक वर्ष की और अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 21 जनवरी, 1979 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 2(19)/75-सीयूसी]

जी० बी० रामकृष्णा, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 16th January, 1978

S.O. 20(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39(E)/18FB/IDRA/77 dated the 22nd January, 1977, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that —

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 2A, Chapters VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial undertakings or the company as the case may be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1), read with section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 21st January, 1979.

[File No. 2(19)/75-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

